भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 1043

उत्तर देने की तारीख- 29/07/2024

भारतीय विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश

†1043. श्री बैन्नी बेहनन:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विदेशी विश्वविद्यालयों की तर्ज पर भारतीय विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों (एचईआई) में वर्ष में दो बार प्रवेश देने के यूजीसी के निर्णय की समीक्षा की है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या निर्णय के प्रभाव का आकलन किया गया है तथा प्रस्ताव के लाभ और हानि क्या हैं;
(ग) क्या सरकार ने नई द्वि-वार्षिक प्रवेश प्रणाली को समायोजित करने के लिए भारतीय विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों में मौजूदा संसाधनों, अवसंरचना सुविधाओं और सहायक सेवाओं का मूल्यांकन किया है;
(घ) यदि हां, तो संसाधनों, अवसंरचनाओं और सहायक प्रणालियों को बेहतर बनाने के लिए शुरू किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ङ) क्या सरकार द्वि-वार्षिक प्रवेश प्रणाली के तहत भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और छात्र विनियम कार्यक्रमों को बढ़ाने की योजना बना रही है; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (च): राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 में उल्लिखित है कि चूंकि भारत ज्ञानपूर्ण अर्थव्यवस्था और समाज बनने की ओर अग्रसर है, इसलिए अधिक से अधिक युवा भारतीय उच्च शिक्षा के लिए महत्वाकांक्षी हो रहे हैं। नीति में वर्ष 2035 तक उच्चतर शिक्षा में, 50% सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) प्राप्त करने की भी परिकल्पना की गई है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की स्थापना विश्वविद्यालयों में मानकों के समन्वयन और निर्धारण के लिए यूजीसी अधिनियम, 1956 के तहत की गई है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) से प्राप्त जानकारी के अनुसार, आयोग ने 15 मई, 2024 को हुई अपनी 580वीं बैठक में उच्चतर शिक्षण संस्थानों (एचईआई) को वर्ष में दो बार जुलाई/अगस्त और जनवरी/फरवरी में छात्रों को प्रवेश देने की अनुमति देने की नीति को अनुमोदित किया है। तथापि, वर्ष में दो बार छात्रों को प्रवेश देना ऐसे द्विवार्षिक प्रवेश को संचालित करके के लिए उनकी तैयारी के अनुसार। उच्चतर शिक्षा संस्थानों के लिए वैकल्पिक है, इच्छुक उच्चतर शिक्षा संस्थानों को अवसंरचना, शिक्षण संसाधनों और सहायता प्रणालियों की उपलब्धता के आधार पर, सांस्थानिक सांविधिक निकायों के अनुमोदन के साथ, वर्ष में दो बार छात्रों को प्रवेश देने की योजना सावधानीपूर्वक बनानी होगी। प्रवेश प्रक्रिया का तरीका, शिक्षा की गुणवत्ता, सहायता प्रणालियों तक पहुंच और शैक्षणिक कैलेंडर का अनुपालन सभी छात्रों के लिए एकसमान होना चाहिए, चाहे वे जिस भी पाठ्यक्रम चक्र में प्रवेश लें।

इसका उद्देश्य जीईआर को बढ़ाना, उच्चतर शिक्षा तक पहुंच में सुधार करना, छात्रों और उच्चतर शिक्षा संस्थानों दोनों के लिए अधिक लोचनीयता प्रदान करना, अवसंरचना का बेहतर उपयोग करना, अंतरराष्ट्रीय छात्रों को आकर्षित करना एवं विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग को बढ़ावा देना है।

*****